भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2099
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: ई-एनएएम का कार्यान्वयन

2099 श्री चंद्रशेखर साहू:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
श्री प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री कृष्णपाल सिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक किन राज्यों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) कार्यक्रम कार्यानवित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का ईएनएएम प्लेटफार्म के अंतर्गत राज्य की सभी कृषि मंडियों को एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ईएनएएम के अंतर्गत कितनी मंडियों को एकीकृत किया गया है;

(ग) ईएनएएम के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज की बेहतर मूल्य प्रापति हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा कया है;

(ड.) क्या सरकार का मौजूदा ईएनएएम मंडियों को अंतर्राष्ट्रीय ई-प्लेटफार्म के साथ एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा किसानों को ईएनएएम के बारे में जागरूक करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): दिनांक 30 नवंबर, 2022 तक, 22 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) अर्थात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर और पुदुचेरी की 1260 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) मंच के साथ एकीकृत किया गया है।

(ख) : दिनांक 30 नवंबर, 2022 तक, 22 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की 1260 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर सरकार मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कर रही है।

(ग) : वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक योजना के कार्यान्वयन के बाद से ई-नाम के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	संशोधित अनुमान (सं अ) के तहत आवंटित निधि	जारी की गई राशि
1.	729.07 करोड़ रुपए	649.87 करोड़ रुपए

(घ) : सरकार ने किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें निर्दिष्ट खरीद एजेंसियों के माध्यम से खरीद करना, ई-राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) को कार्यान्वित करना, मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 और "10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन" नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा, सरकार "पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)" को कार्यान्वित कर रही है, ताकि किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने, उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद की जा सके।

(ङ) : वर्तमान में, ई-नाम प्लेटफॉर्म विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की मौजूदा भौतिक थोक मंडियों/बाजारों को एकीकृत कर रहा है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पारदर्शी मूल्य खोज पद्धति के माध्यम से कृषि जिंसों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान की जा सके।

(च) : किसानों को ई-नाम के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

i. किसानों, व्यापारियों और कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
ii. किसानों को सुविधाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए ग्राम सभाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
iii. समाचार पत्र, राज्य कृषि विपणन बोर्डों द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, प्रदर्शनियों, हैंडआउट्स, पोस्टर आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।
iv. एपीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियमित समीक्षा बैठक।
v. एपीएमसी के दौरे के माध्यम से नियमित प्रोत्साहन और मार्गदर्शन किया जाता है।

*****